

प्रेषक,

रविकान्त यादव,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

*Recd
9.2.22*

विषय:- माननीय महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-20/2022/दिनांक 24.08.2022 द्वारा
आहूत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ससम्मान निवेदन है, कि माननीय महोदय द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र
संख्या-20/2022/दिनांक 24.08.2022 द्वारा आहूत स्पष्टीकरण प्रस्तरवार निम्नवत है-

1- यह कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा मौखिक रूप से न्यायिक कार्य में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो भी मौखिक आरोप लगाये गये वे पूर्णतया असत्य, निराधार व कपोलकल्पित हैं तथा मात्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मानसिक दबाव बनाकर गलत कार्य कराने के आशय से किये गये हैं।

2- यह कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप कि "वाहन अवमुक्ति के प्रार्थना पत्रों में अधिक जुर्माना अंकित कर उसकी तुलना में कम की रसीद दी जाती है।" पूर्णतया गलत एवं निराधार है। जबकि वास्तविकता यह है, कि जितना जुर्माना पत्रावलियों में लगाया जाता है, उतना ही जुर्माने की रसीद दी जाती है तथा किसी भी विशिष्ट पत्रावली का उल्लेख न होने से स्पष्ट है, कि ऐसी कोई भी पत्रावली नहीं है, जिसमें कि अधिक जुर्माना अंकित कर उसकी तुलना में कम की रसीद दी गयी हो।

3- यह कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप कि "वाहन अवमुक्त प्रार्थना पत्रों को सुनवाई के पश्चात अनिश्चित काल के लिये आदेश में रख लिया जाता है, तथा समय से उन पर आदेश पारित नहीं किया जाता है।" पूर्णतया गलत एवं निराधार है, तथा मेरे द्वारा वाहन अवमुक्त प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर तत्काल उसी दिन आन डायस आदेश पारित कर दिया जाता है तथा सुनवाई के पश्चात कोई भी वाहन अवमुक्त प्रार्थना पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जाता है तथा किसी भी विशिष्ट पत्रावली का उल्लेख न होने से स्पष्ट है, कि ऐसी कोई भी पत्रावली नहीं है, जिसमें कि सुनवाई के पश्चात समय से आदेश पारित न किया गया हो।

4- यह कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप कि' प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० की सुनवाई के पश्चात महिनों तक आदेश पारित नहीं करते हैं।' पूर्णतया गलत एवं निराधार है तथा मेरे द्वारा उसी दिन या आदेश हेतु नियत तिथि को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० की पत्रावलियों में आदेश पारित कर दिया जाता है तथा सुनवाई के पश्चात कोई भी प्रार्थना पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जाता है तथा किसी भी विशिष्ट पत्रावली का उल्लेख न होने से स्पष्ट है, कि ऐसी कोई भी पत्रावली नहीं है, जिसमें कि सुनवाई के पश्चात समय से आदेश पारित न किया गया हो।

5- यह कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप कि "जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से नहीं करते हैं।" पूर्णतया गलत एवं निराधार है तथा मेरे द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के पश्चात उसी दिन डायस पर ही आदेश पारित कर दिया जाता है तथा कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जाता है।

6- यह कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप कि "कुछ पत्रावलियों में जारी लम्बे समय का वारण्ट रिकाल कर देते हैं तथा कुछ पत्रावलियों में दो चार तिथियों का भी वारण्ट रिकाल

[Signature]

नहीं करते हैं।" पूर्णतया गलत एवं निराधार है तथा मेरे द्वारा प्रत्येक पत्रावलियों में परिस्थितियों जैसे अपराध की गम्भीरता, आवेदक द्वारा लिये गये आधार को दृष्टिगत रखते हुये तथा आरोप, साक्ष्य व अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० के स्तर पर पत्रावलियों में अभियुक्तगण द्वारा जानबुझकर अनुपस्थित होकर पत्रावलियों में कार्यवाही को बाधित करने आदि को दृष्टिगत रखते हुये वारण्ट रिकाल प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियमानुसार सुनवाई के पश्चात उसी दिन डायस पर ही कर दिया जाता है तथा कोई भी प्रत्येक पत्रावली की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उचित आदेश पारित किया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है, कि बार के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाये गये मौखिक आरोप पूर्णतया गलत एवं निराधार हैं, मात्र पीठासीन अधिकारी पर मानसिक दबाव बनाने के उद्देश्य से किये गये गये हैं। जिसमें को सत्यता नहीं है।

अतः माननीय महोदय की सेवा में स्पष्टीकरण सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक-26.08.2022

भवदीय,

Ravikant Yadav
(रविकान्त यादव) 26.08.2022

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।

Seer
319
District Judge
Kushinagar at Padrauna (U.P.)